**Issue of Bonds by Sardar Sarovar Narmada Nigam Limited**

1306. SHRI T. VENKATRAM REDDY:
SHRI G. PRATHAPA REDDY:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether any proposal from the Sardar Sarovar Narmada Nigam Limited for issue of NRI Bonds and Tax-Free Bonds is pending with Government for clearance;

(b) if so, the time since when it is pending with the Government and reasons for such a long pendency; and

(c) the time by which it is likely to be cleared?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBIPROSAD PAL): (a) to (c) No, Sir. However, a proposal was received from Gujarat Government in December, 1995 to permit Sardar Sarovar Narmada Nigam Limited to raise Rs. 300 crores as tax-free bonds.They were informed that it was not possible to expand the scheme of tax-free bonds to State sector projects in view of the present restrictive policy for tax-free bonds even for Central Public Sector Enterprises in the wake of the adverse criticism by the Joint Parliamentary Committee to enquire into irregularities in securities and banking transactions on the use of funds raised through tax-free bonds and Government's assurance thereon that the system of tax-free bonds should be phased out gradually.

**राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैक (नाबार्ड) द्वारा प्रदान की गयी धनराशि**

1307. **श्री रामजीलाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने वर्ष 1995-96 के दौरान अब तक राज्यवार कितना ऋण प्रदान किया हैं;

(ख) हरियाणा राज्य को कितना ऋण दिया गया ;

(ग) क्या नाबार्ड की दर कम करने के लिये कोई कदम उठायेगा; यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल)** : (क) और (ख) योजना बद्व और गैर-योजनाबद्व ऋण के लिए अन्तर्गत वर्ष 1995-96 के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किए गए पुनर्वित्त के हरियाणा राज्य सहित राज्य-वार संवितरण का ब्यौरा क्रमश: विवरण-I और II में दिया गया हैं (नीचे देखिए)।

(ग) और (घ) नाबार्ड द्वारा अपनायी जाने वाली ब्याज दर इस विषय में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों/निर्देशों से नियंत्रित होती हैं। सहकारी बैंकों द्वारा जी जाने वाली ब्याज की दर को भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी स्लैंबों के लिए ऋणों के वास्ते 12 प्रतिशत न्यूनतम के अध्यधीन पूरी तरह से अविनियमित कर दिया हैं। वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक समर्थित योजनाओं के अंतर्गत निवेश ऋण के लिए ब्याज-ढांचा निम्नानुसार हैं:

(%**प्रतिवर्ष**)

| **सीमा का आकार** | **अंतिम ऋण दर** | **पुनर्वित्त दर** | |
|---|---|---|---|
| | | **वाणिज्य बैंक** | **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक** |
| I) 25, 000 रू. तक | 12.0 | 8.5 | 6.5 |
| II) 25,000 रू. से अधिक और 2 लाख रू. तक | 13.5 | 10.5 | 9.5 |
| III) 2 लाख रू. से अधिक | सीबी/आरआरबी द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार | सीबी द्वारा निर्धारित किए गए दर से 3% नीचे | 12.0 |

यूएलआर-अतिंम ऋण दर सीबी—वाणिज्यिक बैंक

आरअर—पुनर्वित दर आरअरबी—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया हैं कि फिलहाल नाबार्ड से प्राप्त पुनर्वित्त पर ब्याज की दर को कम करने के कोई प्रस्ताव नही हैं।

**विवरण-I**

**योजनाबद्व ऋण के तहत** 1995-96 (23.2.1996 **तक) नाबार्ड द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संवितरित पुनर्वित्त संवितरण को दर्शाने वाला विवरण।**

(**लाख रूपए में**)

| **संख्या** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम** | **राशि** |
|---|---|---|
| 1. | चंडीगढ़ | 11.20 |
| 2. | दिल्ली | 150.64 |
| 3. | हरियाणा | 14181.71 |
| 4. | हिमाचल प्रदेश | 1447.92 |
| 5. | जम्मू एवं कश्मीर | 693.75 |
| 6. | पंजाब | 14695.01 |
| 7. | राजस्थान | 14070.51 |
| 8. | अरूणाचल प्रदेश | 172.47 |
| 9. | असम | 2916.56 |
| 10. | मणिपुर | 239.57 |
| 11. | मेघालय | 258.96 |
| 12. | मिजोरम | 88.32 |
| 13. | नागालैंड | 53.97 |
| 14. | त्रिपुरा | 833.46 |
| 15 | सिक्किम | 32.37 |
| 16. | बिहार | 4210.54 |
| 17. | उड़ीसा | 5944.55 |
| 18 | पचिम बगाल | 21.29 |
| 19 | अड्मान एव निकोबार दीपस्मुह | |
| 20. | मध्य प्रदेश | 12007.29 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 30589.74 |
| 22. | दादरा एव नगर हवेली एव दमन एव दीव | 55.76 |
| 23. | गुजरात | 11201.51 |
| 24. | गोवा | 389.27 |
| 25. | महाराष्ट्र | 23002.28 |
| 26. | आन्ध प्रदेश | 18687.42 |
| 27. | कनाट्क | 18339.89 |
| 28. | लक्षदीप | — |
| 29. | केरल | 7180.05 |
| 30. | पाडिचेरी | 198.28 |
| 31 | तमिलनाडु | 18586.65 |
| | जोड | 206344.21 |

(आकडे अनन्तिम)

**विवरण II**

**वर्ष 1995-96 के दौरान दिसम्बर, 1996 तक)**
**नाबार्ड द्वारा गैर योजना ऋण के तहत मंजूर किए गये ऋण-राज्य वार/संघ शासित क्षेत्र वार दर्शाने वाला विवरण**

(लाख रूपए में)

| राज्य/संघ शसित क्षेत्र का नाम | मंजूर ऋण सीमा | अधिकतम बकाया राशि |
|---|---|---|
| हरियाणा | 4500.00 | 43426.00 |
| पंजाब | 27580.00 | 17461.00 |
| राजस्थान | 23605.00 | 22661.00 |
| मणिपुर | 0.00 | 661.00 |
| मेघालय | 250.00 | 250.00 |
| त्रिपुरा | 180.00 | 120.00 |
| नागालैंड | 200.00 | 190.00 |
| बिहार | 16815.00 | 4816.00 |
| उड़ीसा | 10075.00 | 9696.00 |
| पश्चिम बंगाल | 8214.00 | 7299.00 |
| मध्य प्रदेश | 60755.00 | 46211.00 |
| उत्तर प्रदेश | 60755.00 | 46212.00 |
| गुजरात | 17565.00 | 19638.00 |
| महाराष्ट्र | 24915.00 | 17400.00 |
| आन्ध्र प्रदेश | 71615.00 | 63485.00 |
| कर्नाटक | 24885.00 | 18699.00 |
| केरल | 6357.00 | 2540.00 |
| तमिलनाडु | 342320.00 | 24935.00 |
| जोड़ | 434101.00 | 33217,47* |

* अखिल भारतीय अधिकतम बकाया राशि (आंकड़े अनन्तिम)

**Problems Faced by Small Scale Sector Exporters**

1308. SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have taken note of the problems faced by the exporters of small scale sector due to the post shipment doller plan; if so, what measures are being contemplated to help this sector; and

(b) whether Government intends to restrat in imports not related to exporters?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBIPROSAD PAL): (a) The Reserve Bank of India (RBI) has reported that export credit is available to the exporters including exporters of the small scale sector m rupees and also in foreign currency both at pre-shipment and post-shipment stages. No separate guidelines have been issued by RBI exclusively for lending to export purposes for small scale sector.

RBI has further reported that with a view to ensure adequate flow of credit to the export sector, banks have been directed to achieve a minimum level of 10% of each bank's net outstanding bank credit to the export sector. With the withdrawal of Post-shipment Export Credit denominated in US Dollars (PSCFC) scheme effective from February 8, 1996 exporters have now the option to avail export credit at post-shipment stage either in rupees or in foreign currency under Rediscounting of Export Bills Abroad (EBR) Scheme at LIBOR linked interest rates. Banks have been advised to take into account needs of small customers while extending the export credit facility under the foreign currency export credit. Bank have also been advised to ensure that no export order should suffer for want of bank finance.

(b) No such proposal is under consideration of the Government at present.

**New Economic Policy**

1309. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the sector to which the new economic policy has benefited the most; and

(b) the details thereof?